न्यायालय :– उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
राजस्व वाद सं0 11/2023

उनवान मुकदमा

1. सुरेन्द्र कुमार जाट पि0 छीतरमल जाति – जाट
2. राकेश कुमार जाट निवासी – खोरालाड़खानी
3. झमरी देवी पत्नि छीतरमल तह0 – शाहपुरा
4. सुनीता देवी पुत्री छीतरमल जि0 – जयपुर

वादीगण

बनाम

1. कल्याण पुत्र सुवा
2. गैन्दी देवी पत्नी कल्याण
3. छोटूराम
4. प्रकाश
5. रूघाराम
6. रतन

पि0 कल्याण

7. बिमला उर्फ बाज्या पत्नी छोटूराम
8. कोयली पत्नी प्रकाश
9. अनिता पत्नी रतन
10. सुनिता पत्नी रूघाराम

समस्त वयस्क जाति गाड़िया लुहार निवासी ग्राम खोरालाड़खानी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 183, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनाँक 30/6/23

दावा वादीगण संक्षेप में इस प्रकार पेश किया गया है कि हाल आ0 ख0 नं0 1459 रकबा 0.04 है0 वाके ग्राम खोरालाड़खानी तह0 शाहपुरा जि0 जयपुर की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम दर्ज है। जमाबंदी संम्वत् 2074–2077 खाता सं0 747 वादपत्र के साथ पेश की है। उक्त भूमि वादीगण के पिता/पति छीतरमल की खरीदशुदा, कब्जेशुदा खातेदारी संम्पति है। वादीगण ही उक्त भूमि पर काबिज काश्त रहकर उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। वादीगण के नाम दर्ज खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि से वादीगण के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का कोई संम्बन्ध या सरोकार नहीं है। प्रतिवादीगण का उक्त वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि से कभी कोई संम्बन्ध या सरोकार नही रहा है लेकिन प्रतिवादीगण ने नाजायज संगठन बनाकर बेईमानी व लालच पैदा होने के कारण अभी 15 दिन पूर्व उक्त वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा कर लिया है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को नाजायज कब्जा करने बाबत उलाहना दिया तो वे काफी उग्र हो गये तथा वादीगण को धमकी दी है कि हम उक्त भूमि पर निर्माण कार्य करेंगे तथा जबरन पेड पौधे काटेंगे। तथा कहा कि तुम्हारी संम्पूर्ण भूमि पर कब्जा करके रहेंगे। तुम्हे जो करना है वो करो, यह भी कहा कि हम किसी कोर्ट कचहरी से नही डरते हैं। इस प्रकार प्रतिवादीगण के मन मे बेईमानी व लालच पैदा हो चुका है। प्रतिवादीगण ने वादीगण की अनुपस्थिति में बिना किसी हक अधिकार के उक्त भूमि पर नाजायज रूप से कच्चे – पक्के दो कमरे व तार बाउण्ड्री, गटर, बाथरूम, लकडी का गाड़ा लगाकर अतिक्रमण कर कब्जा कर

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

किया है जिसका उन्हे कोई विधिक अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण काफी लड़ाई, झगडालू प्रवृति के लोग हैं तथा इन्होने आपस में एक नाजायज संगठन बनाकर पुख्ता निर्माण कार्य कर वादीगण की भूमि को खुर्द–बुर्द कर देने को आमादा है इस कारण वादी को अपने विधिक अधिकारो की सुरक्षार्थ न्यायालय श्रीमान के समक्ष उक्त वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रतिवादीगण यदि अपने उपरोक्त मनसूबों में सफल हो जावेंगें तो वादीगण को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति धन के रूप में किसी तरह से भी संम्भव नही हो सकेगी तथा पक्षकारों मे अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी इसलिये वादीगण को अधिकार हासिल हैं कि न्यायालय श्रीमान से प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि में अवैध रूप से अकिमण कर कब्जा की गई भूमि से उन्हे बेदखल करवायें। तथा प्रतिवादीगण को हमेशा–हमेशा के लिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंन्द फरमावें कि वे वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि के उपयोग व उपभोग में कोई दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। वादीगण को शान्तिपूर्वक काबिज रहकर उक्त भूमि का उपयोग उपभोग व काश्त करने देवें। दावा वादीगण अन्दर मियाद पेश है। प्रतिवादी सं0 11 राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से जरिये तहसीलदार पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। प्रतिवादी सं0 11 राज0 सरकार है जिसके विरूद्ध दावा दायर करने से पूर्व धारा 80(1) व जाप्ता दीवानी के तहत 2 माह का कानूनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है किन्तु प्रस्तुत प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का होने के कारण उसे उक्त नोटिस दिया जाना संम्भव नही रहा है। इस कारण वादी ने अलग से धारा 80(2) जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र पेश कर माननीय न्यायालय से नोटिस दिये जाने की छूट एवं दावा दायर करने की अनुमति प्राप्त कर ली है। दावा वादीगण न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।अन्त में निवेदन किया है कि आराजी ख. नं0 1459/0.04 है0 वाके ग्राम खोरालाड़खानी तह0 शाहपुरा की भूमि पर प्रतिवादीगण सं0 1 ल0 10 द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटवाया जाकर प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा भूमि वादीगण को संम्भलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को सदैव के लिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंन्द फरमाया जावे कि वे वर्णित आराजियात पर वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी पैदा नही करें बल्कि वादीगण को शान्तिपूर्वक काबिज रहकर काश्त, उपयोग – उपभोग करने देवें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण को नोटिस तामील कुनिन्दा द्वारा दिये गये, लेकिन नोटिस पर हस्ताक्षर करने से मना किया। दो गवाहान की मौजूदगी में नोटिस प्रतिवादीगण ने ले लिये लेकिन नोटिस प्राप्ति बतौर हस्ताक्षर करने से मना किया है ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण की तामील पर्याप्त मानी जाती है बावजूद सूचना एवं जानकारी वे उपस्थित नही आये हैं इस प्रकार उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

वादीगण ने एकपक्षीय साक्ष्य में वादी ने शपथ पत्र गवाह शिम्भूदयाल पुत्र हनुमान सहाय जाट उम्र 51 साल निवासी खोरालाड़खानी, शपथ पत्र गवाह प्रभूदयाल पुत्र मुन्शीलाल जाट उम्र 46 वर्ष निवासी खोरालाडखानी एवं शपथ पत्र वादी सुरेन्द्र कुमार जाति जाट का पेश हुआ जो संलग्न पत्रावली है।

वादीगण के अधिकक्ता को एकपक्षीय में वादपत्र पर सुना गया। वादीगण के अधिवक्ता ने जमाबंदी आराजियात का अवलोकन कराते हुए, वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं अपने वाद पत्र की ताईद की। वादीगण के अधिवक्ता ने वाद पत्र के समर्थन में अपनी लिखित बहस भी पेश की है जो संलग्न पत्रावली है ।

हमने वादीगण के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस एवं लिखित बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन कर मनन किया।

वादीगण सं0 1 ल0 4 मुताबिक जमाबंदी संम्वत् 2074–2077 चौसाला ग्राम खोरालाड़खानी तह0 शाहपुरा के आराजी ख. नं0 1459/0.04 है0 के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार हैं जिसका उपयोग–उपभोग करने का वादीगण को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। आराजियात से प्रतिवादीगण का कोई संम्बन्ध या वास्ता नही है तथा न ही रहा है। आराजी

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

नाजा वादीगण के पिता/पति की संम्पति है जो वादीगण को विरासत में प्राप्त हुई है। ससे प्रतिवादीगण का कोई लेना–देना नहीं है। वादीगण विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार श्तकार है जिसका उपयोग–उपभोग, काश्त करने का पूर्ण अधिकार वादीगण को प्राप्त हैं। केन प्रतिवादीगण ने दावा दायरी के 15 दिन पूर्व उक्त भूमि पर अवैध नाजायज कब्जा कर च्चे – पक्के दो कमरे, तार बाउण्ड्री, गटर, बाथरूम, निमार्ण कर लिया है तथा उक्त भूमि में ना लकडी का गाड़ा भी खडा कर लिया है जिसका की उन्हे कोई अधिकार प्राप्त नही है। तिवादीगण विवादित भूमि जिसके वादीगण खातेदार काश्तकार हैं को खुर्द–बुर्द करने पर मादा है।

वादीगण को अपनी खातेदारी भूमि की सुरक्षा, उपयोग–उपभोग करने का पूर्ण धिकार प्राप्त है आराजी मुतनाजा वादीगण को अपने मृतक पिता से विरासत में प्राप्त हुई है लिये वादीगण को अपनी खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कराने एवं कब्जा भूमि ल करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। साथ ही वादीगण अपनी खातेदारी भूमि के संम्बन्ध में तिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का भी पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तिवादीगण यदि अपने मनसूबो में सफल हो गये तो वादीगण को अकथनिय हानि होगी सकी क्षतिपूर्ती किसी भी धन राशि में संम्भव नही है वादीगण ने वाद पत्र के साथ प्रार्थना त्र 80;1द्ध सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिसके तहत धारा 80;2द्ध सी.पी.सी. के हत वाद दायर करने की छूट चाहने का प्रार्थना पत्र पेश किया है। चूँकि प्रकरण अत्यावश्यक कृति का होने से आवश्यक छूट चाहने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। तिवादीगण जानबुझकर प्रकरण में पैरवी हेतु उपस्थित नही हुए है। इससे यह जाहिर होता है के विवादित भूमि के सम्बन्ध में उनके पक्ष में कोई साक्ष्य उपलद्ध नहीं है। प्रतिवादीगण को ादीगण की खातेदारी भूमि पर जबरन कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। इस कारण ादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा का दावा अन्दर मियाद, न्यायालय क्षेत्राधिकार में निर्धारित कोर्ट फीस पर पेश किया है।

वादीगण के वादपत्र के समर्थन में शपथ पत्र गवाहान भी पेश किये है, जिसमें वादपत्र में वर्णित तथ्यों की ताईद की गई है।

अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है तथा आराजी ख. नं0 1459/0.04 है0 वाके ग्राम खोरालाड़खानी तह0 शाहपुरा (जयपुर) जो वादीगण की रिकॉर्डेड खातेदारी भूमि है से प्रतिवादीगण को बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है, साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव के लिये पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करें। बल्कि वादीगण को उक्त भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज रहकर उसका उपयोग–उपभोग करने देवें। आराजी मुतनाजा से प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादीगण को कबजा भूमि सम्भालाने हेतु तहसीलदार (भूमिधारी) को लिखा जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30/6/23 .....को सरै इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

राजस्व वाद सं0 11/2023

उनवान मुकदमा

1. सुरेन्द्र कुमार जाट पि0 छीतरमल
2. राकेश कुमार जाट
3. झमरी देवी पत्नि छीतरमल
4. सुनीता देवी पुत्री छीतरमल

जाति – जाट
निवासी – खोरालाड़खानी
तह0 – शाहपुरा
जि0 – जयपुर
वादीगण

बनाम

1. कल्याण पुत्र सुवा
2. गैन्दी देवी पत्नी कल्याण
3. छोटूराम
4. प्रकाश
5. रूघाराम
6. रतन

पि0 कल्याण

7. बिमला उर्फ बाज्या पत्नी छोटूराम
8. कोयली पत्नी प्रकाश
9. अनिता पत्नी रतन
10. सुनिता पत्नी रूघाराम

समस्त वयस्क जाति गाड़िया लुहार निवासी ग्राम खोरालाड़खानी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
प्रतिवादीगण

दावा बाबत बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 183, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है तथा आराजी ख. नं0 1459/0.04 है0 वाके ग्राम खोरालाड़खानी तह0 शाहपुरा (जयपुर) जो वादीगण की रिकॉर्डेड खातेदारी भूमि है से प्रतिवादीगण को बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है, साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव के लिये पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करें। बल्कि वादीगण को उक्त भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज रहकर उसका उपयोग–उपभोग करने देवें। आराजी मुतनाजा से प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादीगण को कबजा भूमि सम्भालाने हेतु तहसीलदार (भूमिधारी) को लिखा जावें।

निर्णय आज तारीख 30/6/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्श के लिए स्टाम्प 4. ____ रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	